प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.05.2025

साइबर सेल, थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 1,68,702/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

आज दिनांक 30.05.2025 को साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा वादी हरमिंदर सिंह परिहार निवासी सैक्टर-01 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड के अन्तर्गत डिजिटल अरेस्ट कर ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त सम्बंध में थाना कौशाम्बी पर धारा 318(2), 351(4) बीएनएस व 66 (डी) आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें वादी से डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी गई कुल धनराशि 1,68,702/- रूपये को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से हरमिंदर सिंह परिहार निवासी सैक्टर-01 वैशाली थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद के साथ 1,68,702/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 30.05.2025 को वादी के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में, कब्जे से 2.830 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 29.05.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र रामपार्क से अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त निकेल उर्फ काके पुत्र स्व0 सुखबीर निवासी खानपुर मोड थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। जिनके कब्जे से 2.830 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरादगी के आधार पर अभियुक्त व बाल आपचारी के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 08/20 NDPS ACT के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त निकेल व बाल आपचारी ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग दिल्ली से गांजा को लाकर उसकी छोटी-छोटी पुडिया बना लेते हैं तथा चोरी छिपे क्षेत्रो में राह चलते व्यक्तियों को घूम फिरकर बेच देते हैं तथा प्राप्त रूपयों से अपने शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.निकेल उर्फ काके पुत्र स्व सुखबीर निवासी खानपुर मोड थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

2. एक बाल अपचारी (अभिरक्षा में)

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 2.830 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त निकेल व बाल आपचारी के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त अवैध गांजा बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक साइबर सेल टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 35,000 रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

दिनांक 29.05.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक साइबर सेल टीम द्वारा आवेदक श्री नरेश सैनी पुत्र संदुरलाल सिंह निवासी क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि **35,000/-** रूपये को आवेदक को वापस कराया गया।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक साइबर सेल को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक श्री नरेश सैनी के साथ 35,000/- रूपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 29.05.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबरफ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक साइबर सेल टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण, 40000/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

दिनांक 25.05.2025 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से आभूषण व रूपये चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर धारा 305(a)/331(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.05.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त नीरज पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद निवासी 25-फुटा सेक्टर-63 नोएडा उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 करघनी(सफेद धातु), 04 जोड़ी पायल (सफेद धातु), 01 रेशम पट्टी (सफेद धातु), 40000/- रूपये नगद व घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों अरुण व ललित के साथ मिलकर इस गाडी से रैकी करके श्रीराम इन्क्लेव लाल कुंआ गाजियाबाद स्थित एक मकान से आभूषण व रूपये चोरी कर लिये थे। चोरी के सामान को हम तीनों ने आपस में बांट लिया था। जो मेरे पास से आपको जो रुपये व सामान मिला है वह उसी चोरी का हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीरज पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद निवासी 25-फुटा सेक्टर-63 नोएडा उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

संयुक्त टीम द्वारा नो हेलमेट-नो फ्यूल (No Helmet - No Fuel) के अंतर्गत पेट्रोल पम्पों पर हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के दिशा-निर्देशों के क्रम में दिनांक 08-05-2025 से बिना हेलमेट के विरुद्ध जारी 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कमी लायी जाने हेतु दो पहिया वाहन पर चालक व पीछे बैठी सवारी के द्वारा हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से आज कमिश्नरेट के विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात के नेतृत्व में **नो हेलमेट-नो फ्यूल (No Helmet - No Fuel)** का विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चालकों को सड़क दुर्घटना में हेलमेट की महत्वता के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। अभियान के अंतर्गत हेलमेट न पहनने वाले कई

वाहन चालकों को मौके पर जागरूक किया गया एवं बिना हेलमेट के कुल 339 दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध चालान/सीज की कार्यवाही की गयी । पेट्रोल पंप स्वामी एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पेट्रोल पम्प पर **नो-हेलमेट-नो फ्यूल (No Helmet - No Fuel)** के बैनर लगवाएं एवं **बिना हेलमेट किसी भी दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल** न दिया जाए।

यह अभियान न केवल नियम पालन को सुनिश्चित करने के लिए है, बल्कि लोगों को यह संदेश देने के लिए भी है, कि **"हेलमेट आपकी सुरक्षा है, विकल्प नहीं।"** सयुंक्त टीम का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अतएव दो पहिया वाहन चालकों से अपेक्षा की जाती है, कि स्वयं तथा अपने परिवार की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें ।

उक्त अभियान में सम्भागीय परिवहन अधिकारी गाजियाबाद, जिला पूर्ति अधिकारी गाजियाबाद, सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात, यातायात निरीक्षक (मुख्यालय), यातायात निरीक्षक द्वितीय जोन आदि उपस्थित रहे।

सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

अपर पुलिस उपायुक्त,यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

यातायात पुलिस द्वारा नि:शुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के दिशा-निर्देशों के क्रम में दिनांक 08-05-2025 से बिना हेलमेट के विरुद्ध जारी 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कमी लायी जाने हेतु दो पहिया वाहन पर चालक व पीछे बैठी सवारी के द्वारा हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से आज पुस्ता तिराहा थाना ट्रोनिका सिटी में सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और दो-पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात के नेतृत्व में एक विशेष हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, यातायात नियमों का पालन न करने वाले दो-पहिया वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें नि:शुल्क आई0एस0आई0 मार्का 100 हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था, कि लोग स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन न चलाएं। हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए पहनना जरूरी है। मौके पर उपस्थित आमजनों के द्वारा यातायात पुलिस की इस पहल की काफी सराहना की। हेलमेट वितरण के साथ-साथ उपस्थित लोगों को यातायात नियमों/सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी गई। यातायात पुलिस का यह अभियान आगामी दिनों में भी विभिन्न क्षेत्रों में जारी रहेगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली हानि को कम किया जा सके।

उक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात, यातायात निरीक्षक षष्ठम लोनी जोन एवं सामजसेवी संगठन के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।

यातायात पुलिस गाजियाबाद सभी वाहन चालकों से अनुरोध करती है, कि दो पहिया वाहन पर चालक व पीछे बैठी सवारी प्रत्येक दशा में हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें।

सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

अपर पुलिस उपायुक्त,यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।